ग्रामीण क्षेत्रों में मुर्गियों के नस्ल सुधार के लिए 25 लाख रुपये तक की सब्सिडी उपलब्ध

ग्रामीण कुक्कुट क्षेत्र को संगठित करके आय बढ़ाने और स्वरोज़गार के अवसर पैदा करने के लिए, भारत सरकार का राष्ट्रीय पशुधन मिशन (एन एल एम) मुर्गियों के नस्ल सुधार के लिए एक योजना चला रहा है। पशुधन और कुक्कुट के नस्ल विकास पर अपने उप-मिशन के तहत, एन एल एम ग्रामीण क्षेत्रों में मुर्गियों के नस्ल सुधार के लिए उद्यमियों की स्थापना के लिए पूंजीगत लागत (25 लाख रुपये तक सीमित) के 50% तक की सब्सिडी दे रहा है।

यह योजना 2021-22 वित्तीय वर्ष में पूरे भारत में लागू की गई थी। यह योजना राज्य के पशुपालन विभाग की राज्य कार्यान्वयन एजेंसी और भारत सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग के माध्यम से लागू की जा रही है।

योजना के उद्देश्य

असंगठित ग्रामीण कुक्कुट पालन क्षेत्र को संगठित क्षेत्र में लाना।

ग्रामीण कुक्कुट पालन के क्षेत्र में स्थायी तरीके से उद्यमिता को बढ़ावा देना।

फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज (आगे और पीछे की कड़ी) की स्थापना।

विभिन्न वैकल्पिक गैर-पारंपरिक कम लागत वाली फीडिंग को लोकप्रिय बनाना।

योजना की मुख्य विशेषताएं

मूल फार्म, ग्रामीण हैचरी, ब्रूडर-सह-मदर यूनिट (मातृ इकाई) में अंडों और चूज़ों के उत्पादन की परियोजना की स्थापना के लिए और मदर यूनिट में चार सप्ताह तक चूजों के पालन-पोषण के लिए निजी व्यक्तियों, स्वयं सहायता समूहों (एस एच जी)/किसान उत्पादक संगठनों (एफ पी ओ)/किसान सहकारी संगठनों (एफ सी ओ)/संयुक्त देयता समूहों (जे एल जी) और धारा 8 कंपनियों को आमंत्रित करके उद्यमिता विकसित की जाती है। उन उद्यमियों पर ज़ोर दिया जाता है जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज (हब और स्पोक) स्थापित करने में सक्षम हैं।

केंद्र सरकार न्यूनतम 1,000 अंडे देने वाली मुर्गियों के साथ मूल फार्म, ग्रामीण हैचरी और मदर युनिट की स्थापना के लिए परियोजना की लागत के लिए 50% पूंजीगत सब्सिडी प्रदान करती है।

उद्यमियों/पात्र संस्थाओं को शेष राशि की व्यवस्था बैंक ऋण या वित्तीय संस्थान या स्व-वित्तपोषण से करनी होगी।

मूल फार्म में रखे गए पक्षी लो इनपुट (कम लागत) तकनीक वाले पक्षी या ऐसे पक्षी होते हैं जो फ्री-रेंज प्रबंधन प्रणाली पर पाले जाते हैं।

केंद्रीय कुक्कुट विकास संगठन, केंद्रीय एवियन अनुसंधान संस्थान, कुक्कुट अनुसंधान निदेशालय, राज्य पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय और अन्य निजी संगठन गारंटीकृत उत्पादन के प्रमाण पत्र के साथ उद्यमियों को पक्षियों की आपूर्ति करने के लिए पात्र हैं।

सहायता का प्रतिरूप

दो किश्तों में कुल 50% पूंजीगत सब्सिडी (25 लाख रुपये तक सीमित)। सब्सिडी दो समान किश्तों में प्रदान की जाती है।

पहली किश्त भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) द्वारा अनुसूचित बैंक या राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एन सी डी सी) जैसे वित्तीय संस्थानों को बैंक या वित्तीय संस्थान के बाद उद्यमी/पात्र संस्थाओं के खाते में जमा करने के लिए जारी की जाती है। लाभार्थी को ऋण की पहली किश्त जारी करता है और राज्य कार्यान्वयन एजेंसी (एस आई ए) द्वारा इसकी पुष्टि करता है। परियोजना के पूरा होने और एस आई ए द्वारा प्रमाणन के बाद लाभार्थी सिडबी द्वारा दूसरी किश्त जारी करने के पात्र होंगे।

स्व-वित्तपोषित परियोजना के मामले में, परियोजना का मूल्यांकन उस बैंक द्वारा किया जाना चाहिए जहां उद्यमियों/पात्र संस्था का खाता है। 50% सब्सिडी की पहली किश्त ऋणदाता बैंक को सिडबी द्वारा प्रदान की जाती है जहां लाभार्थी का खाता है।

सब्सिडी तभी जारी की जाती है जब लाभार्थी ने बुनियादी ढांचे के लिए परियोजना के लिए 25% लागत का खर्च किया हो और एस आई ए द्वारा सत्यापित किया गया हो। शेष 50% सब्सिडी परियोजना के पूरा होने और एस आई ए द्वारा सत्यापन के बाद सिडबी द्वारा प्रदान की जाएगी।

स्व-वित्तपोषण प्रणाली द्वारा उद्यमिता परियोजना के तहत लाभ लेने के इच्छुक उद्यमियों/पात्र संस्थाओं को सब्सिडी से परे परियोजना की शेष लागत के लिए तीन साल के लिए वैध अनुसूचित बैंक से बैंक गारंटी प्रदान करने की आवश्यकता है। यह बैंक गारंटी भारत सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग के नाम से प्रदान की जाती है।

मूल बैंक गारंटी को एस आई ए की सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जाना है। इसके अलावा, बैंक गारंटी की एक प्रति और एक घोषणा पत्र को आवेदन जमा करने या आवेदन के साथ संलग्न करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करने की आवश्यकता है।

कार्यशील पूंजी, निजी वाहन, भूमि की खरीद, किराए की लागत और भूमि के पट्टे के लिए कोई सब्सिडी प्रदान नहीं की जाती है।

पात्र संस्थाएं

निजी व्यक्ति, किसान उत्पादक संगठन (एफ पी ओ), किसान सहकारी संगठन (एफ सी ओ), संयुक्त देयता समूह (जे एल जी), स्वयं सहायता समूह (एस एच जी) और धारा 8 कंपनियां।

परियोजना की निगरानी

एस आई ए इसके संचालन के संबंध में पूरा होने के बाद दो साल की अवधि के लिए परियोजना की निगरानी करेगी।

योजना के बारे में पूरी जानकारी वेबसाइट https://nlm.udyamimitra.in पर उपलब्ध है।